



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161034

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 65483 वर्ष 2008

हरि प्रसाद राय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, निदेशक पेंशन के माध्यम से एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: रवि प्रकाश श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

(एस.एन. 25)

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव की ओर से पैरवी करते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री एच. पी. मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार केसरवानी को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 30.10.2008 एवं 29.07.2008 के आक्षेपित आदेशों से क्षुब्ध होकर दाखिल की गई है, जिनके द्वारा याचिकाकर्ता को तकनीकी त्रुटि के कारण अधिक भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि की वसूली का आदेश दिया गया था, क्योंकि पेंशन की राशि कंप्यूटर प्रोग्राम में गलत रूप से फीड कर दी गई थी। तथापि, यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता उक्त राशि पाने का अधिकारी नहीं था और आक्षेपित आदेश पारित किए जाने के पश्चात् उक्त त्रुटि को पहले ही ठीक कर दिया गया है तथा उसके बाद याचिकाकर्ता को उसके अधिकारानुसार सही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी उस राशि की वसूली करने के अधिकारी हैं, जिसका भुगतान याचिकाकर्ता को उसकी ओर से किसी प्रकार की गलती के बिना, उसकी पेंशन के एक भाग के रूप में किया जा चुका है। याचिकाकर्ता को उक्त अतिरिक्त राशि का भुगतान पेंशन के गलत निर्धारण के कारण नहीं, बल्कि कंप्यूटर प्रणाली में राशि की गलत फीडिंग के कारण किया गया था।
3. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता दिनांक 31.01.1996 को लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड-II, इलाहाबाद में वरिष्ठ सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। तत्पश्चात्, प्रारंभ में याचिकाकर्ता को अनंतिम पेंशन प्रदान की गई और उसके बाद दिनांक 08.08.1999 को प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय से पेंशन भुगतान आदेश जारी किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की पेंशन निर्धारित की गई। तथापि, दिनांक 29.01.2008 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा यह ज्ञात हुआ कि याचिकाकर्ता को उपलब्ध पेंशन संबंधी लाभों की फीडिंग में हुई तकनीकी त्रुटि के कारण मार्च, 2002 से दिनांक 30.11.2007 तक त्रुटिपूर्ण भुगतान किया गया था। फलतः, याचिकाकर्ता को ₹1,19,508/- की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान कर दिया गया था। उक्त त्रुटि का पता चलने पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक 29.01.2008 को आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया कि याचिकाकर्ता को भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि की वसूली उसकी पेंशन की राशि से की जाएगी और जनवरी, 2008 के महीने से कटौती प्रारंभ कर दी गई। दिनांक 29.01.2008 के पत्र द्वारा उपर्युक्त तथ्यों से याचिकाकर्ता को विधिवत अवगत करा दिया गया कि याचिकाकर्ता को गलत रूप से भुगतान की गई उक्त राशि की वसूली उसकी पेंशन से की जाएगी। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने **स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर), (2015) 4 एस.सी.सी. 334** के मामले में दिए गए निर्णय तथा इस न्यायालय के **लाल मणि मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2011) 8 ए.डी.जे. 162** के निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता की ओर से कोई त्रुटि नहीं थी और यह निर्विवाद रूप से प्रतिवादी की ओर से गलत फीडिंग का मामला था, जिसके कारण याचिकाकर्ता को पेंशन के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया। उक्त राशि जब-जब याचिकाकर्ता को प्राप्त हुई, तब उसने इस सद्भावपूर्ण विश्वास के आधार पर उसका उपयोग किया कि उसे विधिसम्मत पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अतः ऐसी राशि की वसूली याचिकाकर्ता से नहीं की जा सकती, विशेष रूप से तब, जब प्रतिवादियों की भूल के कारण लगभग छह वर्षों तक उसका अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह याचिकाकर्ता को वेतनमान अथवा पेंशन संबंधी लाभों के गलत निर्धारण के कारण किया गया कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता को देय पेंशन की राशि की फीडिंग करते

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



समय हुई त्रुटि के कारण अतिरिक्त राशि का भुगतान हुआ है। जब यह ज्ञात हुआ कि याचिकाकर्ता उक्त राशि पाने का विधिसम्मत रूप से अधिकारी नहीं था, तब उक्त राशि की वसूली याचिकाकर्ता की पेंशन से किए जाने का आदेश दिया गया और वह भी ₹2,000/- प्रतिमाह की किस्तों में, ताकि संपूर्ण राशि की एकमुश्त वसूली से याचिकाकर्ता को अचानक आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। अतः आक्षेपित आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मत हैं। उन्होंने वर्तमान याचिका को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात्, इस न्यायालय ने मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 01.03.2002 से गलत फीडिंग के कारण याचिकाकर्ता को पेंशन की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया, जिसका वह अधिकारी नहीं था। उक्त त्रुटि प्रतिवादियों की ओर से लिपिकीय भूल के कारण याचिकाकर्ता को पेंशन के रूप में देय राशि की गलत फीडिंग किए जाने के कारण हुई थी। जब उक्त त्रुटि का पता चला और प्रतिवादियों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए गए, तब याचिकाकर्ता को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए आक्षेपित आदेश पारित किया गया। **रफीक मसीह (उपर्युक्त)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा-18 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

“18. ऐसी सभी परिस्थितियों का पूर्वानुमान करना संभव नहीं है, जो वसूली के प्रश्न पर कर्मचारियों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती हैं, जहां नियोक्ता द्वारा भूलवश उनकी पात्रता से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो। तथापि, ऐसा होने पर भी, उपर्युक्त संदर्भित निर्णयों के आधार पर, सुविधाजनक संदर्भ के लिए हम निम्नलिखित कुछ

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



परिस्थितियों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें नियोक्ताओं द्वारा की जाने वाली वसूली विधि की दृष्टि से अनुमन्य नहीं होगी:-

(i) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवा (अथवा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' की सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अथवा उन कर्मचारियों से, जो वसूली का आदेश पारित किए जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वसूली।”

(iii) ऐसे कर्मचारियों से वसूली, जिनको अतिरिक्त भुगतान वसूली का आदेश जारी किए जाने से पूर्व पांच वर्ष से अधिक अवधि तक किया गया हो।

(iv) ऐसे मामलों में वसूली, जहां किसी कर्मचारी से अनुचित रूप से उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन कराया गया हो और उसके अनुसार उसे भुगतान किया गया हो, जबकि विधिसम्मत रूप से उसे निम्नतर पद पर कार्य करने के लिए अपेक्षित किया जाना चाहिए था।

(v) किसी अन्य मामले में, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इतनी अन्यायपूर्ण, कठोर अथवा मनमानी होगी कि वह नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से अत्यधिक परे होगी।”

7. **लाल मणि मिश्रा (उपर्युक्त)** के मामले में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जब याचिकाकर्ता अपने वेतन के गलत निर्धारण के लिए दोषी नहीं था, तब ऐसी राशि की वसूली उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् देय राशि/लाभों से नहीं की जा सकती थी।

8. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता, जो वर्ष 1996 में सेवानिवृत्त हुआ था, लगभग 89 वर्ष की आयु का है और इस अवस्था में वह पूर्णतः प्राप्त हो रहे पेंशन संबंधी लाभों पर निर्भर है तथा यह भी निर्विवाद है कि उपर्युक्त अतिरिक्त राशि प्राप्त करने में याचिकाकर्ता की ओर से कोई त्रुटि नहीं थी। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि मार्च, 2002 से नवंबर, 2007 तक पेंशन की राशि की गलत फीडिंग के कारण याचिकाकर्ता को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था। तथापि, याचिकाकर्ता को भुगतान की गई उक्त राशि इतनी अल्प राशि है, जिसका याचिकाकर्ता द्वारा उपयोग कर लिया गया होगा; अतः उसकी वसूली याचिकाकर्ता से नहीं की जा सकती, विशेष रूप से तब, जब प्रतिवादियों द्वारा उक्त त्रुटि पहले ही सुधार दी गई है। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रफीक मसीह (उपर्युक्त)** के मामले में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों, विशेष रूप से खंड-18(v), पर भरोसा करते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि इस अवस्था में प्रतिवादियों को उक्त राशि की वसूली करने की अनुमति देना अत्यधिक कठोर होगा, विशेष रूप से तब, जब दिनांक 18.12.2008 के अंतरिम आदेश द्वारा उक्त राशि की वसूली पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही रोक लगा दी गई है।

9. याचिकाकर्ता की अवस्था एवं परिस्थिति को देखते हुए, इस न्यायालय को मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में उक्त राशि की वसूली याचिकाकर्ता से किए जाने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं मिलता है।

10. फलतः, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है और दिनांक **30.10.2008 एवं 29.07.2008** के आक्षेपित आदेश एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को देय विधिसम्मत पेंशन के पुनर्निर्धारण में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है।

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

दिनांक: 03 अगस्त, 2026

एन.यू.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”